[श्री राम विलास पासवान]

और कहा है कि रेल कर्मचारियों का भी किसी न किसी रूप में हाथ रहता है। मंत्री जी ने हमें रेल भवन में एक ट्रेन भी दिखलाई थी जिसमें था कि जब इस प्रकार के खतरे की संभावना होती है रेल के इंजन में आवाज आने लगेगी और ड्राइवर को खतरा मालूम हो जायगा। इस प्रकार की दुर्घटनायें कभी भी घट सकती हैं। अभी हम लोग खगरिया से आ रहे थे और खगरिया के बगल में मान्सी में जहां आपका चौकीदार है वहां गाड़ी नहीं भी आती है तो भी क्रिमिनल्स की सांठगांठ से रेल का फाटक गिर जाता है और बसों और ट्रक्स को लूट लिया जाता है। तो एक तरफ तो आपके पास फाटक पर चौकीदार नहीं हैं उसके लिये आपने कहा है कि ओवरब्रिज और अण्डरब्रिज की व्यवस्था है, और आपने कहा है कि 40 से अधिक ओवरब्रिज और अन्डरब्रिज बन चुके हैं। तो 22,000 जो फाटक हैं बिना चौकीदार के उन पर कब तक चौकीदार रख दिया जायगा और आने वाले सालों में आपने कितने ओवर-ब्रिज और अन्डरग्राउन्ड ब्रिजेज की व्यवस्था की है और आप क्या तरीका अपना रहे है जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न घटें ?

प्रो० मधु दंडवते : पहला सवाल पूछने में माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हुई है मैंने कभी यह नहीं कहा कि मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट के तहत कोई भी मोटर बस अनमैंड लेबिल क्रौसिंग के पास आती है तो गेट मैन की अनुमति से रुकना चाहिये। अनमैंड का मतलब ही है कि वहां चौकीदार ही नहीं होता, इसलिये किसी की अनुमति का सवाल नहीं होता। इसलिये मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट में कहा गया है, अगर चौकीदार होता तो वही फाटक बन्द कर देता, लेकिन जो अनमैंड गेट्स हैं वहां कानून के मुताबिक और बोर्ड पर भी लिखा होता है कि हर बस ठहरे और कंडक्टर आगे जाय और सेफटी देखने के बाद बस आगे जाने के लिये कहे।

माननीय सदस्य ने कहा कि 22,000 ऐसे फाटक है जो अनमैन्ड है, उन पर चौकीदार अगर रखना है तो यह जिम्मेदारी हम कब तक निभा सकेंगे ? मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो 22,000 अनमैन्ड गेट्स हैं अगर एक अनमैन्ड गेट को मैन्ड गेट में परिवर्तित करना है तो उसके लिये 60,000 रु० की लागत आती है। इसलिये 22,000 अनमैन्ड गेट्स को मैन्ड गेट करना है तो 132 करोड़ रु० का खर्चा है। यह तो शुरु में खर्चा है और साथ ही साथ हर साल इंतमाज करने के लिये 30 करोड़ रु० का खर्चा और लगेगा। आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सारे अनमैंड गेट्स को मैन्ड गेट्स में परिवर्तन कर के 132 करोड़ रु० उस पर खर्च करें। लेकिन हम बार-बार रिव्यू करेंगे और जिन अनमैन्ड गेट्स पर ज्यादा दुर्घटना होने की गुंजाइश है ऐसे अनमैन्डगेट्स को प्राथमिकता दे कर उनको मैन्ड गेट में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे।

12.04 hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

ELEVENTH REPORT

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 11 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।